INDIAN POLITY SHORT NOTES

LECTURE 8

Governor and State Legislature

(राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल)

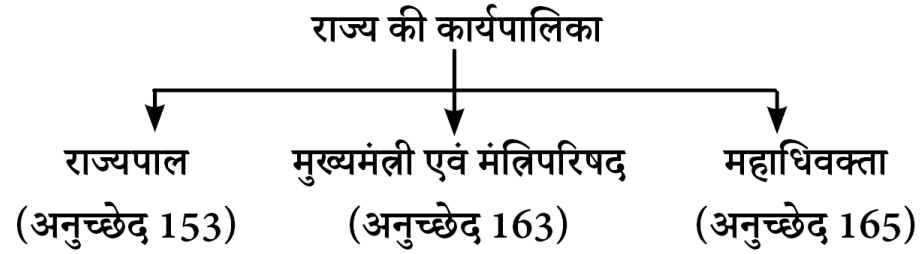

राज्यपाल के पद से सम्बंधित प्रमुख अनुच्छेद

- 153 – राज्यों के राज्यपाल (Post of Governor)
- 154 – राज्य की कार्यपालक शक्ति (Executive power of Governor)
- 155 – राज्यपाल की नियुक्ति (Appointment of Governor)
- 156 – राज्यपाल का कार्यकाल (Term of office)
- 157 – राज्यपाल की अर्हता (Qualifications)
- 158 – राज्यपाल कार्यालय के लिए दशाएँ (Conditions of office)
- 159 – राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण (Oath)

COMPETITION COMMUNITY

राज्यपाल की शक्तियां (Powers)

1. **विधायी शक्तियाँ**

   - विधेयक को अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है (200)
   - विधानमंडल के सत्र को आहूत करता है ,तथा सत्रावसान घोषित करता है
   - कुछ विधायकों को मनोनीत करता है
   - अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की अनुपस्थिति में कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करता है
   - विधायकों की निरर्हता का अंतिम निर्णय लेता है
   - सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करता है (213)
   - वीटो शक्ति (200, 201)

2. **कार्यकारी शक्तियाँ**

   - राज्य के सभी कार्यकारी निर्णय राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं
   - वह राज्य के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति करता है
   - वह राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है
   - वह राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है

3. **न्यायिक शक्तियाँ** -

   - अधीनस्थ न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है
   - उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है
   - **क्षमादान की शक्ति (161)**-

     1. क्षमा (Pardon)

     2. लघुकरण (Commutation)

     3. परिहार (Remission)

     4. विराम (Respite)

     5. प्रविलंबन (Reprieve)

COMPETITION COMMUNITY

राज्य विधान मंडल

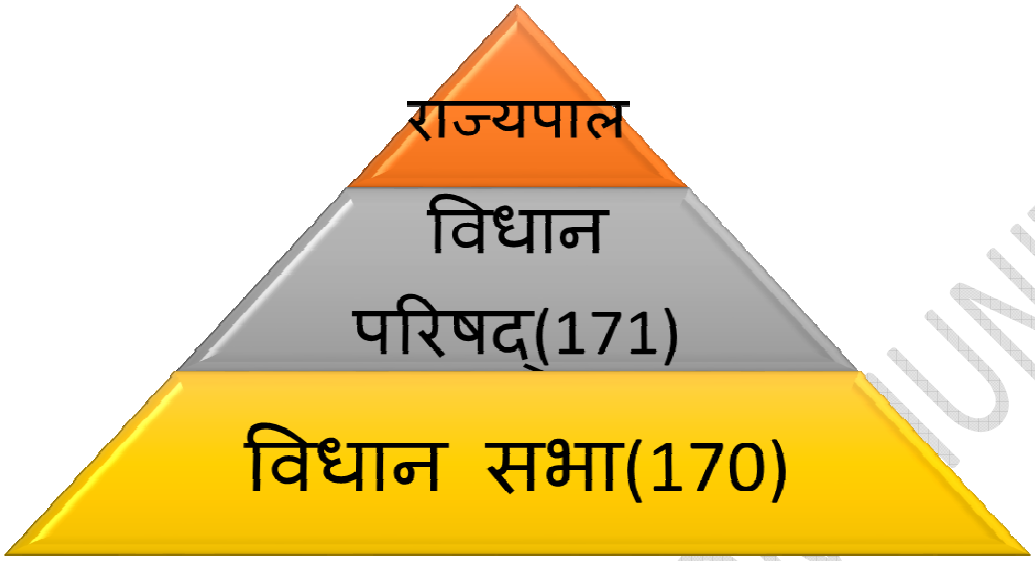

क्र.	विषय	विधानपरिषद	विधानसभा
01	परिचय	विधानपरिषद राज्य विधानमण्डल का उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन होता है।	विधानसभा राज्य विधानमण्डल का निम्न सदन अथवा प्रथम सदन होता है।
02	निर्वाचन	विधानपरिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है।	विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण वयस्क मताधिकार के आधार पर साधारण बहुमत की पद्धति द्वारा होता है।
03	कार्यकाल	विधानपरिषद एक स्थायी निकाय है, जिसका विघटन नहीं किया जा सकता, परन्तु एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा इसके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।	विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परन्तु कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व मुख्यमन्त्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा इसे भंग किया जा सकता है।

COMPETITION COMMUNITY

04	सदस्यों की संख्या	विधानपरिषद के सदस्यों की संख्या अधिक-से-अधिक राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई होती है, परन्तु वह 40 से कम किसी अवस्था में नहीं हो सकती है। (अपवाद-जम्मू-कश्मीर 36 सीटें)।	विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक-से-अधिक 500 तथा कम-से-कम 60 हो सकती है। अपवाद-गोवा (40), मिजोरम (40), सिक्किम (32), पुदुच्चेरी (30)।
05	प्रतिनिधित्व	विधानपरिषद राज्य के कुछ विशेष वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है।	विधानसभा राज्य की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती है।
06	उत्तरदायी	राज्य की मन्त्रिपरिषद विधानपरिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती।	राज्य की मन्त्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
07	अविश्वास प्रस्ताव	विधानपरिषद में मन्त्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत नहीं किया जा सकता। वह मन्त्रिपरिषद के कार्यो की जाँच, आलोचना ही कर सकती है, जो प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछकर तथा स्थगन प्रस्ताव द्वारा किया जाता है।	विधानसभा मन्त्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकता है।
08	प्रस्ताव	धन विधेयक विधानपरिषद में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है।	धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है।
09	राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी	विधानपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मण्डल के सदस्य नहीं होते हैं अर्थात विधानपरिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते।	विधानसभा के सभी निर्वाचित (मनोनीत नहीं) सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मण्डल के सदस्य होते हैं।

COMPETITION COMMUNITY